



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर जिले के बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 24.585 हे. राजस्व वन भूमि बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-111 मार्ग चौड़ीकरण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: /09/2018

स्थान: नया रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राष्ट्रीय संरक्षक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राज्य वन विभाग, रायपुर